मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मंगतराम बनाम लखमीचन्द आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 191/2021

निर्णय दिनांक :– 02-11-2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं0 1 व 6 की ओर से वकील जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फ़ास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा मौजाना के खाता सं० 34/33 के खसरा सं० 10 की 2.5800 खसरा सं० 36 की 1.6700 है०, खसरा सं० 44 की 0.4300 है० खसरा सं० 107 की 2.2250 है० कुल 6.9050 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 लखमीचन्द के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी मंगतराम, प्रतिवादी सं० 2 मट्टीवार व प्रतिवादी सं० 3 जलेसिंह को 1/3 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पैंशोयन विभाग को देय पेंशोयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन होतो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड के अन्दर दर्ज किया जावे। राजीनामा की डिक्री का नाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
कैम्प .....

Scanned with CamScanner